"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 जनवरी, 2003—पौष 27, शक 1924

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2002

क्रमांक 3110/साप्रवि/2002/स्था./2/1.—श्री एम. आर. सारथी, भा.प्र.से. (1988) कलेक्टर, जशपुर को आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री एम. एस. धुर्वे, भा. प्र. से. (1989) अपर आयुक्त, रायपुर संभाग को आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उद्योग एवं खनिज विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

रायपुर दिनांक 1 जनवरी 2003

क्रमांक 1/साप्रवि/2002/स्था./2/1.—श्री सोनमणि बोरा, भा.प्र.से. (1999) को वरिष्ठ वेतनमान (रुपये 10650-325-15850)

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.

में पदोन्नत किया जाता है. श्री सोनमणि बोरा, आयुक्त, नगर निगम, रायपुर के पद पर आगामी आदेश तक पदस्थ रहेंगे. उन्हें वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान का लाभ कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से देय होगा.

रायपुर, दिनांक 1 जनवरी 2003

क्रमांक 7/साप्रवि/2002/स्था./2/1.—श्री एस. के. पाठक, भा. प्र. से. (1990) को प्रवर श्रेणी वेतनमान (रुपये 15100-400-18300) में नियुक्त किया जाता है. श्री एस. के. पाठक, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ अधो संरचना विकास निगम, संचालक, संस्थागत वित्त, संचालक जनसंपर्क, पदेन विशेष सचिव, वित्त एवं जनसंपर्क विभाग के पद पर आगामी आदेश तक पदस्थ रहेंगे. उन्हें प्रवर श्रेणी के वेतनमान का लाभ दिनांक 1-1-2003 से देय होगा.

रायपुर, दिनांक 1 जनवरी 2003

क्रमांक 9/साप्रवि/2002/स्था./2/1.—श्री सी. के. खेतान, भा. प्र. से. (1987) को अधिसमय वेतनमान (रुपये 18400-500-22400) में पदोन्नत किया जाता है तथा उन्हें सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग के पद पर आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है. उन्हें अधिसमय वेतनमान का लाभ कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से देय होगा.

2. श्री आर. पी. मण्डल, भा. प्र. से. (1987) को अधिसमय वेतनमान (रुपये 18400-500-22400) में पदोन्नत किया जाता है. श्री आर. पी. मण्डल, कलेक्टर, बिलासपुर के पद पर आगामी ओदश तक पदस्थ रहेंगे. उन्हें अधिसमय वेतनमान का लाभ कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से देय होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण कुमार, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2002

क्रमांक 1588/2826/2002/1-8/स्था.—यत: श्री वाय. एस. बेले, अवर सचिव का मध्यप्रदेश मंत्रालय से छत्तीसगढ़ मंत्रालय में अंतिम आवंटन होने पर म. प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 7 (186)/2000/1-7/स्था., दिनांक 30-10-2002 द्वारा दिनांक 31-10-2002 (अपरान्ह) से कार्यमुक्त किये गये,

2. और यत: श्री बेले को नियमानुसार पदभार ग्रहण अवधि का लाभ उठाने के पश्चात् दिनांक 11-11-2002 को छ. ग. मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण करना था परन्तु वे कार्य पर उपस्थित न होकर दिनांक 5-12-2002 तक लघुकृत अवकाश पर रहे,

3. अत: छ. ग. सिविल सेवा (पदग्रहण काल नियम) 1982 में निहित प्रावधानों के अनुसार श्री बेले, अवर सचिव को पदभार ग्रहण अवधि में दिनांक 11-11-2002 से 5-12-2002 तक की वृद्धि स्वीकृत की जाती है.

4. श्री वाय. एस. बेले, अवर सचिव को दिनांक 11-11-2002 से 5-12-2002 तक का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही उन्हें दिनांक 6-12-2002 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

5. अवकाश अवधि में उन्हें वही वेतन एवं भत्ता प्राप्त होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

6. अवकाश से लौटने पर उन्हें अवर सचिव, छ. ग. शासन, वन विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 1 जनवरी 2003

क्रमांक 3/साप्रवि/2003/स्था./2/1.—श्री एम. एस. पैकरा, भा. प्र. से. (1991) को भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम 3 (1) के परन्तुक के अंतर्गत 1-1-2000 से कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान (रु. 12750-375-16500) में नियुक्त किया जाता है. श्री पैकरा, कलेक्टर, दंतेवाड़ा के पद पर स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ रहेंगे.

रायपुर, दिनांक 1 जनवरी 2003

क्रमांक 5/साप्रवि/2003/स्था./2/1.—भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1994 आवंटन वर्ष के निम्नलिखित अधिकारियों को, आवंटन वर्ष से नौ वर्ष की सेवा दिनांक 1-1-2003 को पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप, भा. प्र. से. (वेतन) नियम, 1954, के नियम 3 (1) के परन्तुक के अंतर्गत, उक्त तिथि (1-1-2003) से, सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान (12750-375-16500) में अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है :—

क्रमांक (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)
1.	श्री राजकमल, भा. प्र. से., 1994.	अध्ययन अवकाश पर

(1)	(2)	(3)
2.	श्रीमती ऋचा शर्मा, भा.प्र.से., 1994.	संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, सामान्य प्रशासन विभाग, शिक्षा तथा आदिमजाति, अनुसूचित जाति विकास विभाग.
3.	श्रीमती निधि छिब्बर, भा.प्र.से., 1994.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कोरिया.
4.	श्री विकास शील, भा.प्र.से., 1994.	कलेक्टर, जिला कोरिया.
5.	श्री एम. के. पिंगुआ, भा.प्र.से., 1994.	कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा
6.	श्री गणेश शंकर मिश्रा, भा.प्र.से., 1994.	संयुक्त सचिव, गृह विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 1 जनवरी 2003

क्रमांक 5/3559/2002/1-8.—श्री संजय शुक्ला, भारतीय वन सेवा, स्थानापन्न उप-सचिव, लोक निर्माण, आवास पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग, की सेवायें तत्काल प्रभाव से, उनके पैतृक विभाग वन विभाग को वापस लौटाई जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्टीफन खलखो, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2002

क्रमांक 3116/2609/साप्रवि/2002/1/2.—श्री सी. के. खेतान, विशेष सचिव, छ. ग. शासन, जल संसाधन विभाग को दिनांक 20-1-2003 से 1-2-2003 (13 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. दिनांक 18, 19 जनवरी 2003 एवं 2 फरवरी 2003 को सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. श्री खेतान को अवकाश से लौटने पर पुनः अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक विशेष सचिव के पद पर पदस्थ किया जाता है.

3. श्री खेतान को अवकाश काल में वेतन व अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री खेतान अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

5. श्री खेतान के अवकाश काल में, श्री बी. के. ढाँड, सचिव, नगरीय प्रशासन विकास, पर्यावरण एवं आवास, अध्यक्ष रायपुर, विकास प्राधिकरण अपने कार्य के साथ-साथ विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग का कार्य सम्पादित करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागी परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2002

क्रमांक एफ 9-83/गृह/2002.—सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिए राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 25 जुलाई 2002 को प्रश्न-पत्र "लेखा प्रश्न-पत्र-1 (बिना पुस्तकों के) द्वितीय (पुस्तकों सहित)" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
	सश्रेय	
	बिलासपुर-संभाग	
1.	कुमारी शहला निगार	सहायक कलेक्टर
	रायपुर-संभाग	
2.	श्री कृपाराम सिन्हा	राजस्व निरीक्षक (प्रथम में)

निम्न स्तर

रायपुर संभाग

1. श्री कृपाराम सिन्हा राजस्व निरीक्षक (द्वितीय में)

बस्तर संभाग

1. कु. सतरूपा साहू. राजस्व निरीक्षक

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निरंजन दास, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 जनवरी 2003

फा. क्र. 73/8279/21-ब (छ.ग.) 2003.— दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन एतद्द्वारा श्री रोहणी कुमार दुबे अधिवक्ता, महासमुन्द को एक वर्ष की परीवीक्षा अवधि के लिये कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से रायपुर सत्र खण्ड के महासमुन्द के लिए लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती.

रायपुर, दिनांक 3 जनवरी 2003

फा. क्र. 74/8279/21-ब (छ.ग.) 2003.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन एतद्द्वारा श्री जगमोहनलाल चन्द्राकर अधिवक्ता, महासमुन्द को एक वर्ष की परीवीक्षा अवधि के लिये कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से रायपुर सत्र खण्ड के महासमुन्द के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रभात शास्त्री, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2002

क्रमांक 1/अ-82 वर्ष 2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग (रायपुर)	कुहेरा प. ह. नं. 70/17	0.372	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, रायपुर (छत्तीसगढ़).	झांझ नवागांव जलाशय योजना के तहत नहर नाली निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ जैन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 17 दिसम्बर 2002

रा. प्र. क्र./1/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सीतापुर	बतौली	0.136	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-1, अंबिकापुर.	बतौली जलाशय योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक कुमार देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुंद, दिनांक 23 दिसम्बर 2002

क्रमांक 529/अ.वि.अ./भू-अर्जन/10/अ-82 सन् 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियां का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	महासमुंद	साल्हेतराई प. ह. नं. 40	0.91	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	साल्हेतराई जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 31 दिसम्बर 2002

क्रमांक 539/अ.वि.अ./भू-अर्जन/9/अ-82 सन् 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियां का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	महासमुंद	बेलसोंडा प. ह. नं. 140	0.16	कार्यपालन यंत्री, कोडार परियोजना संभाग, महासमुंद.	कोडार परि. के अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनिन्दर कौर द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 30 दिसम्बर 2002

क्रमांक 6523/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	बेंदरकट्टा	2.14	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	बेंदरकट्टा व्यपवर्तन के डूबान निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी का कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/745.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	गिधौरी प. ह. नं. 7	2.072	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 5 खरसिया.	गिधौरी माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/746.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	कुरदा प. ह. नं. 3	2.167	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 5 खरसिया.	गिधौरी सब माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/747.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	गिधौरी प. ह. नं. 7	0.497	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 5 खरसिया.	गिधौरी सब माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/748.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	पतेरापाली खुर्द प. ह. नं. 5	2.826	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 5 खरसिया.	रगजा उप वितरक निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, [illegible] परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/749.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	गढ़गोढ़ी प. ह. नं. 7	6.266	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 5 खरसिया.	गढ़गोढ़ी उप वितरक निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/750.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	चरौदी प. ह. नं. 6	2.242	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4 डभरा.	चरौदा माइनर/किरक़ार माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/751.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	बड़े पांडर मुड़ा प. ह. नं. 6	3.061	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4 डभरा.	किरकार माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/752.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	लिमगांव प. ह. नं. 8	2.475	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4 डभरा.	लिमगांव माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/753.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	संजारी प. ह. नं. 8	0.214	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4 डभरा.	लिमगांव माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/754.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	हरदी प. ह. नं. 8	0.678	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4 डभरा.	लिमगांव माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/1.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खानें (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	जांजगीर प. ह. नं. 41	0.077	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग चांपा, संभाग चांपा.	जांजगीर-चांपा बाई पास सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/2.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	जांजगीर प. ह. नं. 41	0.032	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग चांपा, संभाग चांपा.	जांजगीर-चांपा बाई पास सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जगदलपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/01/अ-82/90-91.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-राजूर, प.ह.नं. 73
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.161 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
350/1	0.161
योग 1	0.161

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मकान एवं एवं बाड़ी निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, बस्तर जिला अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/01/अ-82/92-93.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-उलनार, प.ह.नं. 50
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.667 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
149	0.146
152	0.073
159	0.174
167/1	0.146
615	0.081
330	0.283
331/2	0.024
160, 590/1	0.283
297	0.097
143/3	0.121
292	0.024
590/2	0.065
162	0.129
योग	1.667

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आसना बजावन्ड मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, बस्तर जिला अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/08/अ-82/93-94.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बस्तर

(ख) तहसील-जगदलपुर

(ग) नगर/ग्राम-खोरखोसा, प.ह.नं. 33

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.619 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
292/1	0.162
302	0.303
293	0.154
योग	0.619

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खोरखोसा पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, बस्तर जिला अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/18/अ-82/93-94.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बस्तर

(ख) तहसील-जगदलपुर

(ग) नगर/ग्राम-छिन्दावाड़ा, प.ह.नं. 77

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.270 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
141	0.238
143	0.012
196, 252/4	0.020
योग	0.270

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आवागमन सुगम बनाने हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, बस्तर जिला अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/23/अ-82/93-94.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बस्तर

(ख) तहसील-जगदलपुर

(ग) नगर/ग्राम-गुडरामारेंगा, प.ह.नं. 74

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.094 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
50, 24/2	0.094
योग	0.094

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बड़े मारेंगा पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, बस्तर जिला अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/1/अ-82/94-95.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-छोटे आमाबाल, प.ह.नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.024 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
77	0.024
योग	0.024

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बड़े आमाबाल मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, बस्तर जिला अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/03/अ-82/95-96.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-दुबेउमरगांव, प.ह.नं. 33
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.755 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
53/12	0.162
82	0.020
53/14	0.283
53/9	0.081
115/9	0.364
81/32	0.202
102/7	0.081
115/9	0.162
81/38	0.162
101/1	0.267
112	0.283
115/19	0.283
115/2, 116	0.405
योग	2.755

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बालेंगा खोर-खोसा पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, बस्तर जिला अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. एन. सूर्यवंशी, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

जगदलपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/3/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-कोण्डागांव
- (ग) नगर/ग्राम-बड़ेडोंगर, प.ह.नं. 28
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.276 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
139/85	0.243
139/83	1.033
योग	1.276

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बड़े डोंगर जलाशय क्रमांक 2 की उलट नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, बस्तर जिला अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऋचा शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2002

क्रमांक/02/अ-82/2000-2001/भू-अ./2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-मंदिर हसौद, प.ह.नं. 73
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.205 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1478/1	0.049
1478/2	0.101
1478/3	0.065
1479	0.057
1480	0.085
1481	0.109
1482	0.016
1483	0.263
1505/1, 2, 3	0.445
382/1	0.190
382/2	0.053
379/2	0.202
382/2	0.016
379/2	0.271
372	0.032
375/2	0.089
362/2	0.105
364/1, 2, 3	0.057
योग	2.205

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-योजना वितरक शाखा क्रमांक 17 एवं 17 का माइनर क्रमांक 01 के विस्तार हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ जैन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 5 दिसम्बर 2002

क्रमांक 31.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-करतला

(ग) नगर/ग्राम-चिचोली, प. ह. नं. 5

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.210 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
575	0.210
योग 1	0.210

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बगदर उप शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 7 दिसम्बर 2002

क्रमांक 32.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-कोरबा

(ग) नगर/ग्राम-गितारी, प. ह. नं. 19

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.589 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
728	0.121
730	0.097
731	0.097
732	0.085
729	0.040
735	0.202
739/1	0.008
739/4	0.202
739/3	0.065
801	0.251
740/2	0.089
746	0.045
745	0.089
748	0.089
749/1	0.085
749/2	0.024
योग 16	1.589

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोहरा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 9 दिसम्बर 2002

क्रमांक 33.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-कोरबा

(ग) नगर/ग्राम-मोहरा, प. ह. नं. 19

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.750 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
377	0.049
933	0.101
380	0.004
374	0.040
897	0.105
874/3	0.040
888	
843	0.061
375/2	0.061
376	
379	0.008
881	0.004
842	0.101
373	0.040
882	0.069
845/1	0.004
846/3	
372	0.040
902/2	0.105
903	
887	0.008
844/3	0.146
846/1	
847/3	
385/1	0.150
886	0.032
844/1	0.134
386/1	0.061
386/2	0.065
393/1	
516	0.057
393/2	0.040
395	0.024
856/2	0.032
860/1	
861/1	
394	0.113
861/2	0.073
366/1	0.008
518/3	0.012

(1)	(2)
911/5	0.057
809/7	0.032
505	0.045
934	0.061
504	0.158
515	0.061
517	0.057
874/2	0.020
889/1	
923	0.004
518/1	0.028
898/1	0.008
808/5	0.057
809/5	
809/4	0.004
518/2	0.020
911/6	0.057
898/2	0.077
930/1	0.004
930/2	0.134
928/1	0.020
863	0.020
928/2	0.045
789/2	0.045
862	
926	0.121
864	0.101
910	0.004
889/2	0.036
890/1	
809/2	0.121
810/1	
907	0.081
904	0.004
613	0.101
880	0.085
883/1	0.012
884/3	
885/2	
844/2	0.004
846/2	
847/1	

(1)	(2)
788/2, 860/2, 865, 883/3	0.117
807	0.061
809/6	0.089
378	0.012
योग 68	3.750

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोहरा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ईशिता रॉय, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 19 दिसम्बर 2002

क्रमांक 925/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम-मल्दाकला, प. ह. नं. 23
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.311 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
607	0.101
621	0.186
624	0.024
योग 3	0.311

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-किकिरदा माइनर नं. 3 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 19 दिसम्बर 2002

क्रमांक 926/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-अमरूआ, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.296 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
8/1, 9/1	0.239
5/1, 6/1, 7/1, 19/1	0.057
योग	0.296

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अमरूआ माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 19 दिसम्बर 2002

क्रमांक 927/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-मोहगांव, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.650 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
130, 131	0.012
140	0.040
152/1	0.138
286/1	0.097
152/2	0.053
286/2	0.053
150/9	0.109
150/19	0.061
150/16	0.049
148/4	0.109
153/1	0.032
148/2, 148/9	0.028
190/2	0.073
189/2	0.004
148/6	0.134
197/1	0.113
197/2	0.065
196	0.065
197/3	0.004
195/1	0.040
195/3	0.040
191/2, 192/1, 193/1, 194/2	0.024
191/1	0.109
190/1	0.061
196/1	0.020
188, 189/1, 190/3	0.036
280/1	0.053
281	0.028
योग 28	1.650

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लखाली डि. ब्यू. निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 19 दिसम्बर 2002

क्रमांक 928/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-नवागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-घुटिया, प. ह. नं. 46
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.924 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
115/1	0.166
91, 95, 96	0.045
113/2	0.121

(1)	(2)
112/4	0.081
112/2	0.057
112/3	0.061
114/2	0.121
101/3	0.053
112/9	0.154
112/5	0.008
101/1	0.053
112/1	
92/2	0.004
योग 12	0.924

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-धनेली वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 19 दिसम्बर 2002

क्रमांक 929सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जांजगीर
- (ग) नगर/ग्राम-जांजगीर, प.ह. नं. 41
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.069 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
4550/1	0.069
योग 1	0.069

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-निरीक्षण भवन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 19 दिसम्बर 2002

क्रमांक 930सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-सरहर, प. ह. नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.329 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
341/7	0.016
341/3	0.121
341/6	0.117
324/2	0.016
320/1	0.069
321/1	0.073
322/1	0.016
321/2	0.202
323/2	0.040
323/1	0.073
323/3	0.081
247/1	0.004
74/2	0.024
74/15	0.182
74/4	0.101
75/2	
75/8	0.085

(1)	(2)
75/4	0.109
योग 17	1.329

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सरहर माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 19 दिसम्बर 2002

क्रमांक 931/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम-तलवा, प. ह. नं. 1
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.217 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
124	0.097
125	0.036
126	0.020
117	0.008
116/2	0.077
116/1	0.073
122	0.085
102/3	0.036
102/4	0.016
99/2	0.109
100	
185/1	0.081
185/2	0.049
179	0.024
180	0.004
178/1	0.045
212	0.336
127	0.036
151/1	0.085
153	
155	
योग 18	1.217

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तलवा सब माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 19 दिसम्बर 2002

क्रमांक 932सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम-रायपुरा, प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.244 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
101/8	0.081
101/21	0.061
101/13	0.081
101/19	0.049

(1)	(2)
101/15	0.053
101/11	0.049
101/4	0.061
101/2	0.053
132	0.113
133/1	0.049
133/3	0.032
133/2	0.024
133/6	0.065
133/7	0.016
134/2	0.032
135/2	0.073
135/3	0.065
143/2	0.008
138	0.101
145	0.142
139/4	0.032
144	0.012
146	0.170
147/8	0.016
147/10	0.040
179/2	0.065
179/4	0.049
179/3	0.016
178/3	0.061
178/6	0.028
178/10	0.057
175/1	0.178
171/1	0.049
176/2	0.065
171/3	0.049
170/1	0.036
166/1	0.069
169	0.036
168	0.008
योग 39	2.244

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तान्दुल डीह माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 19 दिसम्बर 2002

क्रमांक 933/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सिरली, प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.860 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1178/3	0.085
1176/1	0.057
1175/1	0.016
1161	0.198
1162/5	0.008
1464	0.053
1162/4	0.097
1410/3	0.077
1410/4	0.081
1410/2	0.065
1422/2	0.049
1421	0.028
1420/1	0.049
1420/3	0.045
1452	0.040
1453/3	0.073
1454/3	0.028
1454/2	0.032
1447/4	0.036
1447/5	0.008
1461	0.020
1462/4	0.036
1466/2	0.016
1540/2	0.020

(1)	(2)
1540/3	0.032
1539/1	0.045
1539/2	0.040
1554/1	0.028
1554/2	0.049
1535/2	0.028
1535/1	0.008
1550/4	0.053
1551/1	0.049
1551/2	0.053
1554/3	0.024
1553	0.040
1551/14	0.008
1551/17	0.093
1551/18	0.085
1667/3	0.036
1667/2	0.081
1667/4	0.057
1662	0.061
1661/5	0.089
1661/4	0.016
1661/6	0.109
1629/1	0.012
1630/1	0.049
1629/3	0.024
1629/2	0.053
1630/2	0.045
1629/4	0.028
1628	0.004
1626	0.049
1622/10	0.016
1622/6	0.073
1622/8	0.045
1622/7	0.049
1618/10	0.053
1618/20	0.032
1628/19	0.028
योग 61	2.860

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गोरखा-पाली माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 19 दिसम्बर 2002

क्रमांक 934सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सिरली, प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.606 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1472	0.016
1447/3	0.073
1447/5	0.125
1474/2	0.081
1474/3	0.045
1471	0.040
1473	0.016
1529	0.028
1530/1	0.093
1509	0.004
1510	0.028
1512	0.049
1513	0.004
1515	0.004
योग 14	0.606

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बसंतपुर सब माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 19 दिसम्बर 2002

क्रमांक 935/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम-हरदी, प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.775 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
684/2 685/2	0.065
684/2 685/6	0.065
685/4	0.073
685/5	0.049
688	0.121
689/1 682	0.125
690	0.032
692	0.016
694	0.008
693 699	0.028
696	0.024
698	0.020
700/2	0.020
700/1	0.061
700/3	0.012
706	0.024
707	0.032
योग 17	0.775

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बसंतपुर सब माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 23 दिसम्बर 2002

क्रमांक 530/क/भू-अर्जन/अ.वि.अ./01 अ./82/सन् 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-महासमुन्द
- (ग) नगर/ग्राम-अछोली, प. ह. नं. 138/85
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.374 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
346	0.013
348	0.036
349	0.040
399	0.032
400	0.040
397	0.101
405	0.112
योग 7	0.374

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अछोली सब माइनर क्रमांक 2 कोडार नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 23 दिसम्बर 2002

क्रमांक 530/क/भू-अर्जन/अ.वि.अ./02अ./82/सन् 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-महासमुन्द
- (ग) नगर/ग्राम-कोना, प. ह. नं. 132/79
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.90 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
490	0.02
491	0.13
492	0.16
494	0.07
493	0.01
495	0.06
496	0.06
497	0.15
498	0.18
499/2	0.20
501	0.12
502	0.17
503	0.01
505	0.02
547	0.28
560	0.05
561	0.20
553	0.02
552	0.05
550	0.14
316	0.06
243	0.05
317	0.08
245	0.29
242	0.31
241	0.12
237	0.11
258	0.10
236	0.08
264	0.09
265	0.07
266	0.19
204	0.19
203	0.02
499/1	0.04
योग 35	3.90

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केशवा नाला व्यपर्तन योजनांतर्गत मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 23 दिसम्बर 2002

क्रमांक 530/क/भू-अर्जन/अ.वि.अ./03अ./82/सन् 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-महासमुन्द
- (ग) नगर/ग्राम-खट्टी, प. ह. नं. 130
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.75 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
705	0.10
666	0.18
583	0.13
581	0.10
582	0.01
333	0.09
332/1	0.03
242	0.25
226	0.09
389	0.19
390	0.02
129	0.01
128	0.09
126	0.02
131	0.02
133	0.12
116	0.07
107	0.04
71	0.07
72	0.05
101	0.07
योग 21	1.75

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केशवा नाला व्यपर्तन योजनांतर्गत खट्टी माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 23 दिसम्बर 2002

क्रमांक 530/क/भू-अर्जन/अ.वि.अ./04अ./82/सन् 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-महासमुन्द
- (ग) नगर/ग्राम-बकमा, प. ह. नं. 132
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.16 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2233	0.08
668	0.03
1345	0.02
672	0.03
1183	0.10
1344	0.01
1348	0.01
1350	0.09
1365	0.02
425	0.01
426	0.02
431	0.01
321/2273	0.15
612	0.14
648	0.06
682/1	0.02
1084	0.01
1226	0.01
2197	0.01
2198	0.03
2247	0.12
2248	0.15
633	0.06
1083	0.01
671	0.07
1185	0.01
1211	0.07
674	0.02
679	0.02
680	0.03
681	0.01
1090	0.06

(1)	(2)
1171	0.01
1091	0.04
1098	0.20
1181	0.01
1358	0.02
1360	0.05
1089	0.07
620	0.06
623	0.01
632	0.01
635	0.01
637	0.06
673	0.01
622	0.03
631/1	0.05
634	0.06
1182	0.01
1206	0.03
1216	0.02
1081	0.01
1338	0.12
649	0.03
650	0.03
1094	0.09
1364	0.05
1082	0.02
1070	0.07
1184	0.09
1341	0.04
1346	0.03
323	0.10
324	0.01
652	0.03
654	0.02
1075/2	0.04
656	0.10
661	0.03
योग 69	3.16

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केशवा नाला व्यपर्तन योजनांतर्गत मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनिन्दर कौर द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 17 दिसम्बर 2002

क्रमांक 04/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-सीतापुर
- (ग) नगर/ग्राम-सलेयाडीह
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-14.665 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
16	0.534
52/3	0.167
23/1	0.198
25	0.053
30	0.077
35	0.283
45	0.004
40/2	0.040
43	0.065

(1)	(2)
59	0.840
52/1	0.167
122/1	0.154
122/3	0.421
22/7	0.036
33/2	0.493
26	0.024
31	0.441
64	0.224
36/2	0.287
48/1	0.081
44/1	0.171
60	0.069
53/1	0.099
122/2	0.308
22/5	0.024
52/4	0.096
23/2	0.032
27	0.117
41	0.073
36/1	0.097
37	0.004
48/2	0.057
46	0.291
63	0.186
53/2	0.822
1024/1	0.295
52	0.166
28/8	0.121
33/1	0.445
28	0.287
66	0.432
42/1	1.196
38	0.049
40/3	0.121
54	0.232
50	0.405
61	0.567
1024/2	0.295
22/6	0.032
52/5	0.167
24	0.028
29	0.603
34	0.482
44/2	0.128
39	0.036
42/2	0.445
47	0.364
51	0.486
62	0.227
योग	14.665

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सलया-डीह जलाशय के डूबना क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 17 दिसम्बर 2002

क्रमांक 05/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-सीतापुर
- (ग) नगर/ग्राम-सलेयाडीह
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.751 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
74	0.049
78	0.053
795	0.028
190	0.028

(1)	(2)	(1)	(2)
752	0.081	303	0.028
250	0.045	414/1	0.028
702	0.025	779/4	0.073
696	0.020	379/1	0.032
255	0.032	410	0.012
204	0.081	321	0.073
237/2	0.049	211/1	0.081
261	0.024	187	0.130
707	0.162	734/2	0.239
315/1	0.016	196	0.101
346	0.117	700	0.020
369	0.109	234	0.053
626/2	0.154	198/3	0.040
75	0.024	792	0.045
79	0.061	238	0.024
798	0.089	621	0.061
310	0.040	302	0.069
194	0.049	309/1	0.028
251	0.032	315/2	0.016
703	0.020	626/1	0.142
697	0.004	379/3	0.049
199/1	0.040	412	0.081
205	0.105	77	0.008
258	0.008	256	0.020
298	0.008	811	0.012
756	0.061	191	0.049
316	0.016	243	0.101
779/2	0.053	701	0.079
370	0.040	198/1	0.061
627	0.162	198/4	0.032
202	0.040	793	0.081
198/2	0.020	206	0.016
82/2	0.032	259/1023	0.024
635	0.069	677	0.182
195	0.150	309/2	0.016
252	0.004	414/2	0.028
197	0.073	368	0.093
734/1	0.008	379/5	0.049
211/2	0.045	411/1	0.016
237/1	0.008	510	0.020
259	0.032	433	0.016
299	0.049	788	0.081

(1)	(2)
450	0.093
507/1	0.036
509/2	0.008
520	0.032
625/2	0.049
620	0.101
819/8	0.028
820	0.223
821	0.004
411/2	0.016
574	0.040
576/1	0.040
451	0.121
509/1	0.008
507/3	0.036
622	0.049
785/2	0.069
623	0.093
819/2	0.040
757	0.190
754/2	0.008
623/1	0.004
435/2	0.081
494/1	0.004
753	0.101
509/3	0.008
548/1	0.045
549	0.004
755/3	0.020
819/3	0.040
823	0.267
411/3	0.016
785/1	0.049
435/1	0.040
494/2	0.004
506	0.024
507/4	0.036
548/2	0.045
580	0.040
819/1	0.028
519/5	0.040
824	0.081
419	0.028
787	0.101
437	0.182
505	0.024
507/2	0.036
509/4	0.044
576/2	0.081
581	0.081
819/4	0.040
819/6	0.040
311/1022	0.040
योग	7.751

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सलया-डीह जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक कुमार देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 30 दिसम्बर 2002

क्रमांक 6525/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-राजनांदगांव

(ग) नगर/ग्राम-सेम्हरा दैहान, प. ह. नं. 12

(घ) लगभग क्षेत्रफल-10.47 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
3	0.56
4	0.35
100	0.63
175	0.56
256	0.70
248	0.24
176	0.08
177	0.75
126	0.11
178	0.22
179	0.24
233	0.66
249/1	0.47
249/2	0.08
273	0.20
275/2	0.21
274	0.32
357	0.04
358	0.05
356/1	0.14
356/2	0.69
364/4	0.30
364/3	0.40
165/1	0.31
165/2	0.59
171/1	0.27
171/3	0.35
171/2	0.15
172	0.35
127	0.23
239	0.18
252	0.04
योग 32	10.47

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सेम्हरा जलाशय योजना के नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, राजनादगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 30 दिसम्बर 2002

क्रमांक 6525/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-खैरागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-पचपेड़ी, प. ह. नं. 58/11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.19 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
829	0.35
835/8	0.12
835/6	0.22
825	0.21
835/3	0.08
835/2	0.50
898	0.71
योग 7	2.19

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सेम्हरा जलाशय योजना के नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 30 दिसम्बर 2002

क्रमांक 14240/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-डोंगरगढ़

(ग) नगर/ग्राम-सेम्हरा, प. ह. नं. 67

(घ) लगभग क्षेत्रफल-10.16 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
84/1	0.09
92/1	0.41
615/5	0.40
105/2	0.45
106/1	0.37
247/1	0.16
248	0.22
689/2	0.08
267/2	0.19
84/3	0.12
113/6	0.08
691/1	0.12
106/5	0.21
232/5	0.28
247/2	0.03
270/1	0.20
267/1	0.10
269	0.01
91/1	0.01
113/8	0.29
113/5	0.02
105/7	0.18
246	0.21
587	0.18
270/2	0.03
671/1	0.06
302	0.35
335/1	0.32
574/3	0.31
50	0.23
342/2	0.20
580	0.14
574/1	0.03
636	0.12
663/1	0.14
672/1	0.14
677	0.17
609	0.30
335/2	0.10
632	0.10
348/2	0.17
342/1	0.21
578	0.16
588	0.23
639	0.31
670	0.23
672/2	0.14
689/1	0.10
612	0.13
343	0.07
335/3	0.02
247/1	0.17
346	0.23
579	0.15
620/2	0.08
640	0.09
671/2	0.04
678	0.31
692/1	0.17
योग 59	10.16

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सेम्हरा जलाशय के नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

डी. के. श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2002

क्रमांक 28/अ-82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-जशपुर
- (ग) नगर/ग्राम-आस्ता, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.428 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
282/1 क	0.243
316	0.129
1058/02	0.364
1064	0.016
282/2	0.008
283/1 क	0.040
1058/1	0.364
317	0.769
327	0.243
325	0.049
326	0.097
328	0.020
329	0.065
330	0.008
356/3	0.008
1006/2	0.057
357	0.061
360	0.093
361	0.053
362/1	0.065
362/2	0.065
1007/3	0.405
363	0.016
364	0.170
369	0.162
1006/1	0.057
1007/1	0.073
1007/2	0.073
1008	0.324
1053/2	0.384
1063	0.267
1065	0.275
1066	0.097
1067	0.308
योग 34	5.428

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सरडीह जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2002

क्रमांक 29/अ-82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-जशपुर
- (ग) नगर/ग्राम-नीमगांव, प. ह. नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.250 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
73	0.178
74	0.032
135	0.016
75	0.097
292/1	0.040
76	0.016
79	0.024
80	0.057
81	0.016
82	0.097
83	0.243
132	0.016
84	0.105
131	0.154
130	0.243
155	0.081
156	0.097
157	0.121
158/1	0.040
315	0.890
318/1	0.016
319	0.097
320	0.283
324	0.089
325	0.202
योग 25	3.250

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नीमगांव जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2002

क्रमांक 34/अ-82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जशपुर

(ख) तहसील-जशपुर

(ग) नगर/ग्राम-खरसोता एवं डडगांव, प. ह. नं. 15

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.014 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
48/1 क	0.065
48/1 ख	0.065
50/2	0.089
48/2	0.073
51	0.182
52	0.222
127	0.231
208	0.154
131/2	0.388
136	0.138
206	0.045
304	0.194
1528	0.129
54	0.170
207	0.271
125	0.227
126	0.097
128	0.138
129	0.113
130	0.182
131/1	0.388
211/1	0.040
211/3	0.081
211/2	0.251
397	0.016
1529	0.065
योग 26	4.014

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-डडगांव तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2002

क्रमांक 37/अ-82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-जशपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सरडीह, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.386 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2/1	0.243
6	0.049
10	0.146
13	0.308
11	0.040
14	0.190
30/2	0.028
17	0.040
16	0.125
21	1.072
32/1	0.243
32/2	0.279
263	0.405
268	0.218
योग 14	3.386

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सरडीह जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2002

क्रमांक 44/अ-82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-जशपुर
- (ग) नगर/ग्राम-रातामाटी, प. ह. नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.459 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
214	0.162
215	0.227
218/1	0.069
218/1	0.065
453	0.073
219	0.129
328/2	0.040
329	0.218
330	0.073
332	0.162
379	0.057
383	0.146
366	0.061
339/1	0.024
340/1	0.028
368/1	0.020
368/2	0.016
368/3	0.024
369	0.194
370	0.024
372	0.008
374	0.012
375	0.008

(1)	(2)
385	0.082
376/1	0.049
376/2	0.020
384/1	0.040
384/2	0.040
384/3	0.040
384/4	0.040
400	0.146
384/5	0.040
386	0.186
451	0.332
401	0.113
334/5	0.040
449	0.097
452	0.174
454	0.040
339/2	0.020
455/1	0.040
455/2	0.081
योग 42	3.459

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नीमगांव जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2002

क्रमांक 27/अ-82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जशपुर

(ख) तहसील-जशपुर

(ग) नगर/ग्राम-आस्ता, प. ह. नं. 10

(घ) लगभग क्षेत्रफल-13.127 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1077/1	0.667
1077/2	0.809
1077/3	0.526
1079	1.052
1082	0.882
1085	0.466
1086	0.214
1113/2	0.621
1094	0.384
1095	0.372
1087/1	0.061
1098/2	0.324
1087/2	0.352
1098/1	0.384
1090	1.635
1091/1	0.085
1091/2	0.085
1093	0.364
1096	0.648
1100	0.882
1112	2.314
योग 21	13.127

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सरडीह जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. सारथी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 29th November 2002

No. 6228/I-7-3/2002 (pt. I).—It is hereby notified that the following is the List of Vacations/Holidays for the High Courts, of Chhattisgarh during the year 2003 :—

S. No. (1)	Name of Holidays (2)	Dates as per the Gregorian Calendar (3)	Days of the week (4)
1.	New Year's Day	01-01-2003	WEDNESDAY
2.	Id-Ul-Zuha	12-02-2003	WEDNESDAY
3.	Mahashivratri	01-03-2003	SATURDAY
4.	Moharram	14-03-2003	FRIDAY
5.	Holi (Dhurendi)	18-03-2003 and 19-03-2003	TUESDAY and WEDNESDAY
6.	Ram Navami	11-04-2003	FRIDAY
7.	Mahavir Jayanti	15-04-2003	TUESDAY
8.	Good Friday	18-04-2003	FRIDAY
9.	Milad-Un-Nàbi	15-05-2003	THURSDAY
10.	Budha Purnima	16-05-2003	FRIDAY
11.	Raksha Bandhan	12-08-2003	TUESDAY
12.	Independence Day	15-08-2003	FRIDAY
13.	Janmashtami	20-08-2003	WEDNESDAY
14.	Pitramoksha Amavasya	25-09-2003	THURSDAY
15.	Gandhi Jayanti	02-10-2003	THURSDAY
16.	Dushera Holidays	03-10-2003 TO 06-10-2003	FRIDAY TO MONDAY

(1)	(2)	(3)	(4)
17.	Deepawali Holidays	20-10-2003 TO 25-10-2003	MONDAY TO SATURDAY
18.	Id-Ul-Fitr	26-11-2003	WEDNESDAY
19.	Christmas	25-12-2003	THURSDAY

Notes :—

1. The High Courts Registry shall remain closed on all Sundays and shall also remain closed on Second Saturdays falling on :—

   11th January, 2003, 8th February, 2003, 8th March, 2003, 12th April, 2003, 10th May, 2003, 14th June, 2003, 12th July, 2003, 9th August, 2003, 13th September, 2003, 11th October, 2003, 8th November, 2003 and 13th December, 2003.

2. The Satrudays failing on the following days shall be closed Saturdays for the Courts but the Registry shall remain open :—

   4th January, 2003, 18th January, 2003, 25th January, 2003, 15th February, 2003, 22nd February, 2003, 15th March, 2003, 22nd March, 2003, 19th April, 2003, 19th July, 2003, 26th July, 2003, 16th August, 2003, 23rd August 2003, 20th September, 2003, 27th September, 2003, 18th October, 2003, 22nd November, 2003, 29th November, 2003 and 20th December, 2003.

3. Republic day dated 26-1-2003 and Ganesh Chaturthi dated 31-8-2003 fall on Sundays and Gurunanak Jayanti dated 8-11-2003 falls on second Saturday, therefore, they are not declared holidays separately.

4. The High Court shall observe the holidays declared by Central/State Government on account of sad demise of the President of India or the Prime Minister of India dying in harness.

5. Id-Ul-Zuha, Moharram, Milad-Un-Nabi and Id-Ul-Fitr which fall on 12th February, 14th March, 15th May and 26th November respectively are subject to change depending upon the visibility of the Moon. If the Government declare any change in these dates through TV/AIR/Newspaper, the same will be followed.

6. The High Court shall remain closed from 12-05-2003 to 13-06-2003 on account of Summer Vacation and from 22-12-2003 to 31-12-2003 on account of Winter Holidays but the Registry will continue to work.

7. All the Saturdays except the second Saturdays, the Saturdays which are declared as holidays and Saturdays mentioned in paragraph No. 2, shall be Court's working days.

By order of the High Court,
B. K. SHRIVASTAVA, Registrar General.

ELECTION PETITION No. 30/1999

(SMT. BHULESHWARI DEEPA SAHU VS AJAY CHANDRAKAR (DALA) & ORS).

To,

(1) Shri Ajay Chandrakar (DALA)
S/o Kali Ram Chandrakar, aged abount 40 years,
R/o Kuramipara Ward No. 5 Kurud, Tahsil Kurud,
District Dhamtari (C.G.).

(2) Shri Gopi Krishan Sahu,
S/o Not Known aged about 32 years,
R/o Village Supela, P.O. Semara,
(Narottam) Distt. Dhamtari (C.G.),

(3) Shri Dinesh
S/o Late Banshilal, Sharma, aged 30 years,
R/o Gandhi Chowk, Tahsil Kurud,
Distt, Dhamtari (C.G.).

(4) Shri Harishankar Sahu,
S/o Not Known aged 32 years,
R/o Village Chhura, P. O. Kurud, Tahsil Kurud,
Distt. Dhamtari (C.G.).

Sub :— Notices to Resp. No. 1 to 4 in Election Petition No. 30/99 (Smt. Bhuleshwari Deepa Sahu Vs Ajay Chandrakar (DALA) & Ors)

Please take notice that on Smt. Buleshwari Deepa Sahu has filed an Election Petition under Section 80, 80-A & 81 of the Representation of People Act, 1951.

On 10-10-2002 counsel for the petitioner has filed an application (I.A. No. 6748/2002) for withdrawal of Election petition U/s 109 of Representation of People Act, 1951. The said application is fixed for hearing before Hon'ble court on 6-01-2003.

Given under my hand and the seal of this Court this 9th day of December, 2002.

By order of the High Court,
ASHOK PANDA, Additional Registrar (J.).